राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

सी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/203
राजस्व वाद संख्या–27/2024
दायर दिनांक– 25.09.2024
निर्णय दिनांक– 06.11.2025

1. रामनिवास पुत्र रामा
2. शैतानराम पुत्र रामा
   सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम रघुनाथपुरा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत नवां ग्राम रघुनाथपुरा आबादी विस्तार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नवां तह0 रूपनगढ़
2. राजूराम भादू पुत्र लालाराम
3. कमला देवी पत्नि रामदीन
4. गंगा देवी पत्नि सुखपाल
5. जतनी पत्नि लक्ष्मण
6. जीवणी देवी पुत्री रामदीन
7. देवकरण पुत्र रामदीन
8. नानू पुत्र रामनाथ (फौत)
   8/1. सुगनी देवी पत्नि नानू
   8/2. किशनाराम पुत्र नानू
   8/3 सुखपाल पुत्र नानू
   8/4 मोहन पुत्र नानू
   8/5 रामेश्वर पुत्र नानू
   8/6 रतनी पुत्री नानू
   8/7 विरदी पुत्री नानू
   8/8 प्रेम पुत्री नानू
   8/9 किशनी पुत्री नानू
9. भंवरी पत्नि रामा
10. मदन पुत्र रामदीन
11. मनोहर देवी पुत्री रामदीन
12. राजू पुत्र रामदीन
13. रामचन्द्र दत्तक पुत्र श्योराम
14. सुरज्ञान देवी पुत्री रामदीन
15. हरिराम पुत्र रामदीन
16. दयाल पुत्र नाथू
17. नन्दू पुत्री नाथू
18. रूकमा देवी पत्नि नाथू
19. रामेश्वरी पुत्री नाथू
20. श्रवण पुत्र नाथू
    अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 20 जाति जाट निवासीगण ग्राम रघुनाथपुरा तह0 रूपनगढ़
21. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा[illegible]–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :- 1. श्री [illegible] प्रार्थी

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस [illegible] की वाके ग्राम रघुनाथपुरा हल्का रघुनाथपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थल के खाता संख्या [illegible] के ख0न0 174 क्षेत्रफल [illegible] भूमि में संयुक्त संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चली आ रही है। प्रार्थीगण की वाद वर्णित कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि के ख0न0 174 के चारों दिशाओं में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 20 के खातेदारो की आबादी विस्तार भूमि व कृषि भूमि है। जो कि पूर्व दिशा में ख0न0 374/167 की आबादी विस्तार भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2026.01.29 11:55:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

ग्राम में ख0न0 175 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है। उत्तर दिशा में ख0न0 175 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 15 के नाम खातेदारी में दर्ज है। दक्षिण दिशा में ख0न0 175 अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 20 के खातेदारों के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीगण ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 20 के मध्य आये दिन सींव को लेकर विवाद करते रहते है एवं प्रार्थीगण को बिना किसी वजह से काश्त करने में बाधा रूकावट कारित करते रहते है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0न0 174 की पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है। प्रार्थीगण निर्बाध रूप से संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट 27.12.2023 के बनाने के बावजूद विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 8 की मृत्यु होने के कारण 8/1 लगायत 8/9 को भूमिधारी होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि वाद वर्णित संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौक करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 17, 19, 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) पेश किया जिसको स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सख्या 18 को डिलीट किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 21 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की वाद वर्णित भूमि व इससे लगवा पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है ताकि वाद बाहुल्यता ना बढ़े। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रघुनाथपुरा के ख0न0 174 क्षेत्रफल 0.5905 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर [illegible] राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जा[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2026.01.29 11:55:47 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को [illegible] लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

रामकुमार टाडा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)